भारत सरकार राज्य सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतारांकित प्रश्न सं. 1180
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार घाटे का संतुलन

1180 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): विगत पांच वर्षों के दौरान निर्यात और आयात के बीच अंतर का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख): सर्वाधिक व्यापार घाटे के क्या कारण हैं;

(ग): क्या यह सच है कि विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान व्यापार घाटा 172 प्रतिशत अधिक है;

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.): सरकार द्वारा व्यापार घाटे में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च): क्या निर्यात और आयात के बीच बढ़ते अंतर से भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट प्रभावित होगी; और

(छ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): से (घ): विगत पांच वर्षों में समग्र (व्यापारिक वस्तुएं और सेवाएं) निर्यात, आयात और व्यापार घाटे का वर्ष–वार मूल्य निम्नानुसार हैः

मूल्य अमेरिकी बिलियन डॉलर में

वर्ष	समग्र निर्यात	समग्र आयात
2017-18	498.61	583.11
2018-19	538.08	640.09
2019-20	526.55	602.98
2020-21	497.90	511.12
2021-22	676.53	760.06
2021-22 (अप्रैल–अक्तूबर)	371.99	406.03
2022-23 (अप्रैल–अक्तूबर)*	441.46	541.37

*स्रोतः आरबीआई एंड डीजीसीआईएंडएस, *अनंतिम*

व्यापार घाटा वैश्विक एवं घरेलू कारकों जैसे कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति, मुद्रा में उतार–चढ़ाव, अंतरराष्ट्रीय कीमतों आदि के कारण विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात और निर्यात में सापेक्ष उतार–चढ़ाव पर निर्भर करता है।

(ङ.): सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार घाटे को कम करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) विदेश व्यापार नीति (2015–20) 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से शुरू की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुपालन द्वारा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और उनमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(viii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अडचनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।

(ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(x) कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बैंकिग और वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न राहत उपायों के माध्यम से, घरेलू उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई, जिनका निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, को सहायता देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई।

(च) और (छ): रुपये का विनिमय दर मुख्यतः बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है और विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की स्थिति के अनुसार दिन प्रति दिन आधार पर दोनों दिशाओं में आगे बढ़ता है।
